

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-23 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची को अपलोड किये जाने के उपरान्त प्राप्त अपत्तियों के निरकरण के उपरान्त संशोधित पत्राता सूची।

पत्राता सूची का क्रमांक	संशोधित पत्राता क्रमांक	कार्यरत कार्यालय का	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	गृह जनपद	जन्म तिथि	विभाग में योगदान की तिथि	सुगम में कार्यरत अवधि			दुर्गम में कार्यरत अवधि			प्राप्त आपत्तियों का निराकरण
							वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन	
93		पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	प्रबुद्ध शर्मा	चम्पावत	6.3.88	7.11.13	-	-	-	8	6	24	शासन के ज्ञाप संख्या-74, दिनांक 06.01.2022 द्वारा इनका स्थानान्तरण अन्यत्र होने के फलस्वरूप इनका पत्राता क्रमांक निरस्त किया जाता है।

(पी0एन0 राय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, (कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में स्थित कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता/ अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों की संशोधित सूची

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	कुल रिक्तियां
1	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	16	11	5	10	15
2	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	14	8	6	8	14
	योग	30	19	11	18	29

चयन वर्ष 2021-22 में कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता सिविल के पद पर पदोन्नति प्रस्तावित है। यदि पदोन्नति की कार्यवाही समिति की बैठक से पूर्व होती है तो उन परिणामी रिक्तियों पर भी स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। समूह 'ग' के कर्मचारियों से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर भी पदोन्नति प्रस्तावित है। पदोन्नति उपरान्त उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष प्रोन्नत कनिष्ठ अभियन्ता की पदस्थापना की जायेगी

(पी०एम०जी०एस०वाई०)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता